

प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 45/2024)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकारों की रूपरेखा' पर भादूविप्रा के परामर्श पत्र पर टिप्पणियाँ/ प्रति टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार

नई दिल्ली, 1 अगस्त 2024 — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 11.07.2024 को 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दी जाने वाली सेवा प्राधिकारों की रूपरेखा' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि 01.08.2024 और प्रति टिप्पणियाँ 08.08.2024 निर्धारित की गई थी।

2. विभिन्न हितधारकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए लिखित टिप्पणियाँ और प्रति टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 08.08.2024 और 16.08.2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

3. टिप्पणियाँ/ प्रति-टिप्पणियाँ अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@traai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ सूचना के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष क्रमांक +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।



(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भादूविप्रा